प्रकाशन सं०- 720

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-708

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के राजस्व प्रक्षेत्र की कंडिका 2.18, 2.19, 2.20 एवं 2.30 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

(दिनांक 28.02.2024 ई० को सदन में उपस्थापित)

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन	क (i) (ii) एवं (iii)
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण/प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, बिहार वित्त विभाग तथा वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के पदाधिकारीगण ।	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1-12
5. परिशिष्ट	13-50

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

गठन वर्ष 2022–24 (सप्तदश बिहार विधान सभा)

सभापति

1.	श्री तारकिशोर प्रसाद	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	स०वि०स०
2.	श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०
3.	श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	स०वि०स०
4.	श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
5.	डॉ० रामानुज प्रसाद	स०वि०स०
6.	श्री महबूब आलम	स०वि०स०
7.	श्री गुंजेश्वर साह	स०वि०स०
8.	श्री विजय कुमार खेमका	स०वि०स०
9.	श्री चन्द्रहास चौपाल	स०वि०स०
10.	श्री अजय कुमार सिंह	स०वि०स०
11.	श्री राज कुमार सिंह	स०वि०स०
12.	श्री राकेश कुमार रौशन	स०वि०स०
13.	श्री देवेश कुमार	स०वि०प०
14.	श्री सर्वेश कुमार	स०वि०प०
15.	डॉ० कुमुद वर्मा	स०वि०प०
16.	डॉ० सुनिल कुमार सिंह	स०वि०प०

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

गठन वर्ष 2018–20 (षोडश बिहार विधान सभा)

सभापति

1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०
2.	श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०
3.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव	स०वि०स०
4.	श्री अवधेश कुमार सिंह	स०वि०स०
5.	श्रीमती प्रेमा चौधरी	स०वि०स०
6.	श्री रवीन्द्र सिंह	स०वि०स०
7.	श्री अजीत शर्मा	स०वि०स०
8.	श्री भोला यादव	स०वि०स०
9.	श्री मेवालाल चौधरी	स०वि०स०
10.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव	स०वि०स०
11.	श्री विजय कुमार खेमका	स०वि०स०
12.	श्री मनीष कुमार	स०वि०स०
13.	श्री मनोज यादव	स०वि०प०
14.	डॉ० रामवचन राय	स०वि०प०

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप-समिति-2

गठन वर्ष 2018–20 (षोडश बिहार विधान सभा)

सभापति

1. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी — स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री विजय शंकर दूबे — स०वि०स० (संयोजक)
2. श्रीमती प्रेमा चौधरी — स०वि०स०
3. श्री मेवालाल चौधरी — स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

----

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्री संजय कुमार	अवर-सचिव
4. श्री राम कुमार यादव	अवर-सचिव
5. श्री अरबिन्द कुमार दास	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री अमित कुमार झा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. सुश्री कंचन कुमारी	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. श्री रवि कुमार पाण्डेय	कम्प्यूटर ऑपरेटर

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, बिहार

1. श्री काव्यदीप जोशी	उप-महालेखाकार
2. श्री राकेश कुमार-I	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
3. श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
4. श्री संजय कुमार मिश्रा	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
5. श्री संजय कुमार-2	वरीय लेखापरीक्षक

वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना

1. श्री एस० सिद्धार्थ	प्रधान सचिव
2. श्री ओम प्रकाश झा	अवर-सचिव

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार, पटना

1. डॉ० प्रतीमा	आयुक्त-सह-सचिव
2. श्री संजय कुमार मावेडिया	विशेष आयुक्त
3. श्री विनोद कुमार झा	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
4. श्री शशी रंजन कुमार	राज्य-कर अपर आयुक्त
5. श्री विजय कुमार	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
6. श्री संजीव रंजन	राज्य-कर विशेष आयुक्त
7. श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय	राज्य-कर अपर आयुक्त

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन राजस्व प्रक्षेत्र की वाणिज्य-कर विभाग से संबंधित कंडिका 2.18, 2.19, 2.20, एवं 2.30 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 708 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने समिति के कार्यों तथा प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में जो सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है, उनका मैं समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

पटनाः

दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 (ई०) ।

तारकिशोर प्रसाद,

सभापति,

लोक लेखा समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका–2.18, 2.19, 2.20 एवं 2.30 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन। (संबंधित पृष्ठ संख्या–........................ पर द्रष्टव्य।)

2.18 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

> बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 (4) की उपधारा (ii) के प्रावधानों के तहत अगर विहित प्राधिकारी को यह पता चलता है कि कोई व्यवसायी अपने आवर्त अथवा उसके किसी विवरण की गलत घोषणा की है और इस प्रकार इस अधिनियम के तहत अपनी कर की देयता को कम कर दिया है, तब वह व्यवसायी किसी भी कार्रवाई के तहत निर्धारित [illegible] तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके किसी भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

हमलोगों ने दो वाणिज्य–कर अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना सिटी पूर्वी) में मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (संवीक्षित) ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 18.39 करोड़ का कर स्वीकार किया था। निर्धारण प्राधिकारी, नवंबर 2011 एवं जनवरी 2013 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय व्यवसायियों द्वारा कटौतियों/भुगतान के दावे को अमान्य करने के बाद ₹ 20.57 करोड़ के कर का आरोपण किया, किन्तु ₹ 2.18 करोड़ के निर्धारित कर की अन्तर राशि पर कोई भी ब्याज का आरोपण नहीं किया गया जैसाकि अधिनियम के प्रावधानों में विहित है। इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 69.23 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल पटना ने अक्टूबर 2013 में पाटलीपुत्र अंचल के एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 4.26 लाख की वसूली की। शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.19 कर का अधिक संग्रहण

> बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 43 (2) के प्रावधानों के तहत कोई भी निबंधित व्यवसायी किसी भी व्यक्ति से, अधिनियम के अधीन भुगतेय कर की राशि से अधिक का संग्रहण नहीं करेगा। पुनः उक्त अधिनियम की धारा 43 (3) यह प्रावधित करता है कि प्रावधान के उल्लंघन के मामले में संग्रहित राशि की दुगुनी राशि के बराबर, अर्थदण्ड के रूप में आरोप्य है।

हमलोगों ने फरवरी 2012 एवं मार्च 2013 के बीच तीन वाणिज्य–कर अंचलों[20] में पाया कि तीन व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 के बीच ₹ 9.18 करोड़ का कर संग्रह किया एवं जमा किया, जबकि उक्त अवधि में उनकी कर की देयता सिर्फ ₹ 9.03 करोड़ की थी। अतः व्यवसायियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध ₹ 14.81 लाख अधिक कर संग्रहित

---

[20] भागलपुर, दरभंगा एवं पटना सिटी पश्चिमी।

किया। रिटर्न की संवीक्षा नहीं किए जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी अधिक कर संग्रह का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.61 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल ने अक्टूबर 2013 में एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 8.10 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.20 रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना

> बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 15 एवं 16 के तहत् एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट लेगा जब वह वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करेगा अथवा अनुसूची–I में वर्णित वस्तुओं के अलावे किसी इनपुट से अनुसूची–I की वस्तुओं का विनिर्माण करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना खरीदों पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट को घटाने के बाद की जाएगी।

हमलोगों ने अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2013 के बीच चार वाणिज्य–कर अंचलों[26] में चार विनिर्माता व्यवसायियों (कर निर्धारित: दो तथा स्व–कर निर्धारित: दो) के रिटर्न से पाया कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने या तो अनुसूची–I के वस्तुओं का विनिर्माण किया था अथवा करदेय विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया था। इन वस्तुओं के लिए इनपुट का क्रय राज्य के अंदर से राज्य में उन पर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा ₹ 2.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायियों को रिवर्स क्रेडिट की संगणना करनी थी तथा उसे कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से घटाना था, परंतु व्यवसायियों द्वारा ₹ 13.88 लाख के रिवर्स क्रेडिट की या तो संगणना नहीं की गई अथवा कम संगणित किया गया। निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारित मामलों में भी इस चूक का पता नहीं लगा सके और दो मामले असंवीक्षित रह गए जो विभाग में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.31 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 2.94 लाख के ब्याज सहित ₹ 45.13 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, हाजीपुर ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं ₹ 1.43 लाख का माँग सृजित किया और निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने ₹ 5.66 लाख की वसूली की, जबकि निर्धारण प्राधिकारी, बेगुसराय ने कहा कि लेखापरीक्षा ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 16 (2) (बी) में वर्णित फार्मूला को अपनाया है जो विनिर्माण इकाई के लिए नहीं है, यह उक्त नियमावली के नियम 15 (2) के अनुसार होना चाहिए। उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 16 (2) (ए) (बी) (सी) के तहत् वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो स्पष्ट वर्णित करता है कि नियम 14 एवं नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यवसायी, जिनपर नियम 15 का प्रावधान लागू है, वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय अथवा उससे पहले, वर्ष के दौरान प्राप्त रिवर्स क्रेडिट, अगर कोई हो, की कुल राशि

---

[26] बेगुसराय, हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी एवं सासाराम।

का पुनरीक्षित संगणना करेगा। पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट की संगणना नियम 16 (2) (बी) एवं (सी) के तहत् विहित तरीके से की जायेगी। पुनः नियम 16 (2) (डी) उपबंधित करता है कि इस उपधारा के उपबंध (सी) के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट अगर उपधारा (1) के तहत् संगणित पूरे वर्ष के लिए रिवर्स क्रेडिट के योग से भिन्न है, तब व्यवसायी उन मामलों में जहाँ इस उपनियम के उपबंध (सी) के प्रावधान के तहत् संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट उपनियम (1) के अंतर्गत संगणित पूरे वर्ष हेतु रिवर्स क्रेडिट के योग से अधिक है, अन्तर राशि का भुगतान करेगा तथा वार्षिक रिटर्न के साथ भुगतान का साक्ष्य देगा।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

घ : विद्युत शुल्क

2.30 विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) उपबंधित करता है कि, उपधारा (2) के अलावे, इकाइयों पर अथवा खपत या बिक्री की गई उर्जा के मूल्य पर, संचरण एवं रूपान्तरण में उर्जा के ह्रास को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर अथवा दरों पर एक शुल्क आरोपित होगा तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा। उपधारा (2) उपबंधित करता है कि (क) भारत सरकार द्वारा खपत की गई उर्जा अथवा उस सरकार द्वारा खपत हेतु भारत सरकार को बिक्री; (ख) रेलवे का संचालन करने वाले किसी रेलवे कम्पनी के निर्माण, रखरखाव अथवा संचालन में खपत अथवा उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कम्पनी को निर्माण, रखरखाव अथवा उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कम्पनी को निर्माण, रखरखाव अथवा किसी रेलवे के संचालन में खपत हेतु की गई बिक्री; (ग) अपने विद्युत उपक्रम के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खपत; (घ) किसी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा खपत अथवा उनको हुई बिक्री जिन्हें धारा 9 के तहत शुल्क के भुगतान हेतु छूट दी गई हो; (ङ) विद्युत के उत्पादन, संचरण एवं वितरण हेतु दामोदर घाटी निगम द्वारा खपत; (च) किसी अन्य प्रयोजन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इसे लोक हित में घोषित किया गया हो तथा ऐसी छूट ऐसे किसी शर्त एवं छूट, अगर कोई है, के तहत हो जैसा कि उक्त अधिसूचना में वर्णित है, उर्जा की ईकाई पर शुल्क आरोपित नहीं होगा।

मार्च 2013 में हमने पटना विशेष अंचल में पाया कि एक अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जनवरी 2013 में कर निर्धारण करते समय ₹ 2,489.29 करोड़ (5617.1847 मिलियन ईकाई) का विद्युत शुल्क से छूट की अनुमति दी गयी थी। कर निर्धारण आदेश के साथ वार्षिक लेखे एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल अन्य संबंधित रिटर्न की जाँच के दौरान हमने पाया कि व्यवसायी ने अपने रिटर्न में विद्युत शुल्क से छूट का लाभ विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर लिया था जबकि उपरोक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी को बेची गयी वास्तविक ऊर्जा जिन्हें उपरोक्त अधिनियम में छूट का प्रावधान किया गया था, के आधार पर लेना था। विद्युत शुल्क अधिनियम अथवा उसके तहत् बने नियमों के तहत् निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर छूट प्रदान किए जाने की ऐसे कोई प्रावधान के बगैर ही निर्धारण प्राधिकारी ने छूट की अनुमति दी। इस प्रकार निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणी, जैसा कि रिटर्न के प्रारूप में अपेक्षित है, को वास्तविक बिक्री का विवरण प्राप्त किए बगैर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जाना अनियमित था तथा इसलिए अनुमान्य नहीं है।

ऐसी छूट पर विद्युत शुल्क की सन्निहित राशि ₹ 148.34 करोड़[38] संगणित की गयी।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हम हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

---

[38] ₹ 24,23,19,39,850 (4879.0707 मिलियन किलोवाट) पर 6 प्रतिशत की दर से आरोप्य विद्युत शुल्क–₹ 1,45,39,16,391 (सिंचाई के अलावे उपयोग किए गए उर्जा के मूल्य पर).
₹ 66,10,05,600 (738.114 मिलियन किलोवाट) पर 4 पैसे प्रति ईकाई के दर पर विद्युत शुल्क– ₹ 2,95,24,560 (सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया गया).
कुल– (₹ 1,45,39,16,391 + ₹ 2,95,24,560) = ₹ 1,48,34,40,951 ।

विभागीय जवाब

कंडिका संख्या एवं वर्ष (2012–13)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अंचल का नाम	व्यवसायी एवं टिन	अवधि	अनुपालन प्रतिवेदन का संक्षिप्त ब्यौरा
2.18	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	Patliputra	सर्वश्री नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कं०लि०, टिन–10050188043, अवधि– 2009–10, पाटलीपुत्र अंचल	2009–10	वर्ष 2009–10 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ब्याज रु0 384568.00 देय है। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.13 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर भुगतान नहीं किये जाने पर कर रु0 1199626.00 एवं संगणित ब्याज रु0 425906.00 सहित कुल रु0 1625532.00 में से भुगतान की गयी रु0 364516.00 घटाने के उपरांत रु0 1261016.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है। अंचल द्वारा प्रेषित चलान की छाया प्रति के अनुसार भुगतान संपन्न एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–1797, दिनांक–02.06.2017) (संबंधित परिशिष्ट–1 द्रष्टव्य)।
2.18	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	Patliputra	सर्वश्री एक्साईड इंडस्ट्रीज लि०, टिन–10050070091, अवधि– 2010–11, पाटलीपुत्र अंचल	2010–11	वर्ष 2010–11 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ब्याज रु0 4972060.00 देय है। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.13 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर भुगतान नहीं किये जाने पर संगणित ब्याज रु0 4972060.51 हेतु मांग पत्र निर्गत है। अंचल द्वारा प्रेषित कम्प्युटर जनित साक्ष्य की छाया प्रति के अनुसार भुगतान संपन्न एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–1797, दिनांक–02.06.2017) (संबंधित परिशिष्ट–1 द्रष्टव्य)।

2.18	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	Patna City East	सर्वश्री पारले बिस्कुट्स प्रा०लि०, टिन–10060425035, अवधि 2009–10, पटना सिटी पूर्वी अंचल	2009–10	वर्ष 2009–10 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ब्याज रू० 1566040.00 देय है। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.15 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर भुगतान नहीं किये जाने पर संगणित ब्याज रू० 3547507.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–1445, दिनांक–02.05.2017)
2.19	कर का अधिक संग्रहण	Bhagalpur	सर्वश्री ए.बी. सन्स एण्ड ऑटोमोटिव्स, टिन–10521731039, अवधि 2010–11, भागलपुर अंचल	2010–11	वित्तीय वर्ष 2010–11 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा Spare Part की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का अधिक संग्रहण किया गया है, जबकि इसपर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर का अधिक संग्रहण एवं शास्ति सहित कुल रू0 859530.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–4860, दिनांक–15.12.2016) (संबंधित परिशिष्ट–2 द्रष्टव्य)।
2.10	कर का अधिक संग्रहण	Dharbhanga	सर्वश्री दुर्गा भंडार, टिन– 10380437056, अवधि 2010–11, दरभंगा अंचल	2010–11	वित्तीय वर्ष 2010–11 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा ड्राई फुट्स की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का अधिक संग्रहण किया गया है, जबकि इसपर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.13 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि सुनवाई के क्रम में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत क्रय

					बीजक के अनुसार बिस्कुट, मिल्क पाउडर, गुलाब जामुन आदि का क्रय किया गया है। टाईपिंग मिस्टेक के कारण टार में ड्राई फ्रूट्स प्रदर्शित है। प्रसंगाधीन अवधि में बिस्कुट, मिल्क पाउडर, गुलाब जामुन आदि की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का उद्ग्रहण किया गया है, जो अधिसूचित श्रेणी में नहीं है। सम्यक जाँचोपरांत यह परिलक्षित हुआ कि अधिकाई कर का उद्ग्रहण नही किया गया है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–4880, दिनांक–15.12.2016) (संबंधित परिशिष्ट–2 द्रष्टव्य)।
2.19	कर का अधिक संग्रहण	Patna City West	सर्वश्री विनायक इंटरप्राईजेज, टिन– 10080617040, अवधि पटना सिटी पश्चिमी अंचल	2008–09 एवं 2009–10	वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा FMCG & Lubricant की बिक्री पर क्रमशः 12.81 एवं 12.51 प्रतिशत की दर से कर का अधिक संग्रहण किया गया है, जबकि इसपर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर का अधिक संग्रहण एवं शास्ति सहित कुल रु0 734292.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर का अधिक संग्रहण एवं शास्ति सहित कुल रु0 75302.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–4880, दिनांक–15.12.2016) (संबंधित परिशिष्ट–2 द्रष्टव्य)।

2.20	रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना	Begusarai	सर्वश्री कार्बन रिसोर्सेज प्रा०लि०, यूनिट–2, टिन– 10361896088, अवधि– 2010–11, बेगुसराय अंचल	2010–11	
2.20	रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना	Hajipur	सर्वश्री राकेश ईटेबल्स एण्ड जेनेरल प्रोडक्ट्स लि०, टिन– 10293434070, अवधि 2009–10, हाजीपुर अंचल	2009–10	अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी ने Schedule-I goods पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है एवं रु0 40938.00 का रिवर्स क्रेडिट की गणना नही किया है। अंकेक्षण दल की आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.13 को पारित करते हुए बताया गया है कि व्यवसायी द्वारा रु0 40938.00 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अत्यधिक दावा किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। दावे को अस्वीकृत करते हुए शास्ति रु0 122814.00 एवं ब्याज रु0 20264.31 सहित कुल अधिरोपित रु0 143078.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–4507, दिनांक–23.11.2016)
2.20	रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना	Patna City East	सर्वश्री गौरव फूड्स एण्ड कूल कनेक्शन (प्रा०) लि०, टिन– 10061554050, अवधि 2010–11, पटना सिटी पूर्वी अंचल	2010–11	
2.20	रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना	Sasaram	सर्वश्री जे.भी.एल. ऑयल्स एण्ड फूड्स, टिन– 10245680097, अवधि– 2010–11, सासाराम अंचल	2010–11	अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी ने रु0 444080.00 का रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं किया है। अंकेक्षण दल की आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 13.10.12 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि व्यवसायी ने विवरणी में निर्दिष्ट कर एवं राज्य के बाहर भंडार अंतरण दिखाया है, किन्तु Reverse Credit नहीं दिखाया गया है, जो एक प्रक्रियात्मक चूक है। इससे किसी प्रकार के छिपाव एवं व्यवसायी की कर अपवंचना की मंशा परिलक्षित

					मंशा परिलक्षित नहीं होती है। अतः अधिनियम की धारा–31(2) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपण यथोचित नहीं है। Reverse Credit की संगणना के फलस्वरूप व्यवसायी पर रु0 444680.00 कर की देनदारी बनती है। अतः रु0 444680.00 एवं ब्याज रु0 121620.00 सहित कुल संगणित रु0 566300.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है। अंचल द्वारा प्रेषित चलान की छाया प्रति के अनुसार भुगतान संपन्न एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। (विभागीय पत्रांक–4507, दिनांक–23.11.2016)
2.30	विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति		सर्वश्री बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, रजि०नं०— ED-35(R), अवधि 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12, पटना विशेष अंचल		अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में विशेष अंचल, पटना द्वारा दिनांक 14.12.13 को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 में व्यवसायी द्वारा किए गए 661.3095 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर
2.30	विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति	Patna Special	सर्वश्री बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, रजि०नं०– ED-35(R)) अवधि पटना विशेष अंचल	2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12,	आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 2,36,42,15,780.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(c) (1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 14,18,52,947.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 14,18,52,947.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया। वर्ष 2007–08 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 780.3016 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 2,90,63,24,210.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 17,43,79,453.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 17,43,79,453.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया। वर्ष

					2008–09 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 976.4022 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 3,61,39,67,710.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 21,68,38,063.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 21,68,38,063.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया। वर्ष 2009–10 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 1105.5661 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 4,14,38,35,600.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C) (1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 24,86,30,136.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 24,86,30,136.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया। वर्ष 2010–11 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 1051.7827 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 5,19,47,46,820.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 31,16,84,809.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 31,16,84,809.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया। वर्ष 2011–12 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 1041.8226 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नही पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु०

					6,66,98,54,130.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C) (1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 40,01,91,248.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 40,01,91,248.00 का मॉंग सृजित करते हुए भुगतान हेतु मॉंग–पत्र निर्गत किया गया। इस प्रकार अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल द्वारा वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए व्यवसायी के विरूद्ध कुल रु० 1,49,35,76,656.00 का मॉंग सृजित किया गया, जिसमें से रु० 55,08,77,000.00 का भुगतान दिनांक 30.03.2014 को किया गया है। शेष बकाया राशि रु० 94,26,99,656.00 अभी भी वसूलनीय है। व्यवसायी द्वारा सृजित मॉंग के विरूद्ध रु० 1,49,35,77,000.00 का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार मॉंग पूर्ण हो जाती है। [विभागीय पत्रांक–6012, दिनांक–29.12.2014] [विभागीय पत्रांक–6073, दिनांक–14.10.2015]

समिति की अनुशंसा

कंडिका–2.18

बैठक की तिथि–23.01.2020

कंडिका को विभागीय अनुपालन के आधार पर महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस शर्त पर निष्पादित किया गया कि सभी व्यवसायी से संबंधित मांग पत्र एवं वसूली की अद्यतन स्थिति उपलब्ध करा दिया जाय।

अब समिति इस अनुशंसा पर कार्यान्वयन उप समिति में विचार करेगी।

कंडिका–2.19

बैठक की तिथि–23.01.2020

विभागीय अनुपालन के आधार पर महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से कंडिका को इस निदेश के साथ निष्पादित किया जाता है कि वसूली से संबंधित अद्यतन स्थिति उपलब्ध करा दिया जाय।

अब समिति इस अनुशंसा पर कार्यान्वयन उप समिति में विचार करेगी।

कंडिका–2.20

बैठक की तिथि–21.10.2019

विभागीय अनुपालन के आधार पर महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से कंडिका को निष्पादित किया जाता है ।

कंडिका–2.30

बैठक की तिथि–23.01.2020

विभागीय अनुपालन के आधार पर महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से कंडिका को निष्पादित किया जाता है ।

पटना ।

दिनांक–

सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्र संख्या-11/अं०शा०/लो०ले०स०-10/2014- 1797(अ॰क॰)/पटना, दिनांक 2/6/17

प्रेषक,

सुजय प्रकाश उपाध्याय,
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री भूदेव राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

विषयः- **CAG का प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, की कंडिका सं० 2.18 का अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, राजस्व प्राप्ति की कंडिका संख्या-2.18 का उत्तर 10 प्रतियों में संलग्न कर विचारार्थ भेजा जा रहा है।

2. कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
1.6.17

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

CAG की कंडिका संख्या 2.18/2012-13

ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

हमलोगों ने दो वाणिज्य–कर अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना सिटी पूर्वी) में मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (संवीक्षित) ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान रु० 18.39 करोड़ का कर स्वीकार किया था। निर्धारण प्राधिकारी नवंबर 2011 एवं जनवरी 2013 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय व्यवसायियों द्वारा कटौतियों / भुगतानों के [illegible] करने के बाद रु० 20.57 करोड़ [illegible] का आरोपण किया, किन्तु [illegible] के निर्धारित [illegible] की असदत्त राशि पर कोई भी ब्याज का आरोपण नहीं किया गया जैसाकि अधिनियम के प्रावधानों में विहित [illegible] प्रकार [illegible] प्राधिकारियों के [illegible] अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया [illegible] लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल पटना ने अक्टूबर 2013 में पाटलीपुत्र अंचल [illegible] मामले [illegible] स्वीकार किया एवं रु० 4.26 लाख की वसूली [illegible] शेष मामलों में [illegible] प्रतीक्षित है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके जवाब हेतु हम प्रतीक्षित हैं(नवंबर 2013)।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके जवाब के लिए हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

1. **पाटलिपुत्र अंचल, पटना**

व्यवसायी का नाम एवं निबंधन सं०	सर्वश्री नागार्जुन कन्सट्रक्शन कं० लि० 10050188043
सी० ए० जी० कंडिका संख्या	2.18
प्रतिवेदन वर्ष	2012–13
अवधि	2009–10
महालेखाकार आपत्ति का विवरण	"ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना"

अनुपालन–

वर्ष 2009–10 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ब्याज रु० 384568.00 देय है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.13 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर भुगतान नहीं किये जाने पर कर रु० 1199626.00 एवं संगणित ब्याज रु० 425906.00 सहित कुल रु० 1625532.00 में से भुगतान की गयी रु० 364516.00 घटाने के उपरांत रु० 1261016.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है। अंचल द्वारा प्रेषित चलान की छाया प्रति के अनुसार भुगतान संपन्न एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

2. **पाटलिपुत्र अंचल, पटना**

व्यवसायी का नाम एवं निबंधन सं०	सर्वश्री [illegible] इंडस्ट्रीज लि०, पटना 10050070091
सी० ए० जी० कंडिका संख्या	2.18

प्रतिवेदन वर्ष 2012–13

अवधि 2010–11

महालेखाकार आपत्ति का विवरण "ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

<u>अनुपालन</u>–

वर्ष 2010–11 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ब्याज रु0 4972060.00 देय है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.13 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर भुगतान नहीं किये जाने पर संगणित ब्याज रु0 4972060.51 हेतु मांग पत्र निर्गत है। अंचल द्वारा प्रेषित कम्प्युटर जनित साक्ष्य की छाया प्रति के अनुसार भुगतान संपन्न एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त अनुपालनो से सहमत हुआ जा सकता है।

1.6.12

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

प्रतिवेदन वर्ष	2012–13
अवधि	2010–11
महालेखाकार आपत्ति का विवरण	"ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना"

अनुपालन-

वर्ष 2010-11 मे अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान नही किये जाने के कारण ब्याज रु0 4972060.00 देय है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.13 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर भुगतान नहीं किये जाने पर संगणित ब्याज रु0 4972060.51 हेतु मांग पत्र निर्गत है। अंचल द्वारा प्रेषित कम्प्युटर जनित साक्ष्य की छाया प्रति के अनुसार भुगतान संपन्न एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त अनुपालनो से सहमत हुआ जा सकता है।

1.6.17

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

प्र० सं० – 71/लो०ले०स०/02.05.2017

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्याः–11/अं०शा०/लो०ले०स०–10/2014– ..../पटना, दिनांकः.......

प्रेषक,

सुजय प्रकाश उपाध्याय,
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

224 - P.A.C
03-05-17

सेवा में,

श्री भूदेव राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

विषयः– **CAG का प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, की कंडिका सं० 2.18 का अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक मामले में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, राजस्व प्राप्ति की कंडिका संख्या–2.18 का उत्तर 10 प्रतियों में संलग्न कर विचारार्थ भेजा जा रहा है।

2. कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 11/अं०शा०/लो०ले०स०–10/2014– 1545 (लेखा)/पटना, दिनांकः 2/5/17

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को उक्त कंडिका की 05 (पाँच) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक–कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/17

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

CAG की कंडिका संख्या 2.18/2012-13

ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

हमलोगों ने दो वाणिज्य–कर अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना सिटी पूर्वी) में मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (संवीक्षित) ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान रू० 18.39 करोड़ का कर स्वीकार किया था। निर्धारण प्राधिकारी, नवंबर 2011 एवं जनवरी 2013 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय व्यवसायियों द्वारा कटौतियों/भुगतान के दावे को अमान्य करने के बाद रू० 20.57 करोड़ के कर का आरोपण किया, किन्तु रू० 2.18 करोड़ के निर्धारित कर की अन्तर राशि पर कोई भी ब्याज का आरोपण नहीं किया गया जैसाकि अधिनियम के प्रावधानों में विहित है। इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप रू० 69.23 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल पटना ने अक्टूबर 2013 में पाटलीपुत्र अंचल के एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं रू० 4.26 लाख की वसूली की। शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं(नवंबर 2013)।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके जवाब के लिए हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

<u>अंचलों का अनुपालनः–</u>

<u>1. पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना</u>

व्यवसायी का नाम, पता	सर्वश्री पारले बिस्कुट्स प्रा० लि०, पटना
एवं निबंधन सं०	10060425035
सी० ए० जी० कंडिका संख्या	2.18
प्रतिवेदन वर्ष	2012–13
अवधि	2009–10

महालेखाकार आपत्ति का विवरण "ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना"

अनुपालन–

वर्ष 2009–10 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ब्याज रू० 1086940.00 देय है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.15 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर भुगतान नहीं किये जाने पर संगणित ब्याज रू० 3647507.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त अनुपालनों से अवगत हुआ जा सकता है।

2/5/17

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

कार्यालय : वाणिज्य–कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पटना।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–226/2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन।

क्रम सं0	व्यवसायी का नाम एवं निबंधन सं0	कंडिका सं0	अवधि	आपत्ति	अनुपालन	प्रमंडलीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) का मंतव्य
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वश्री एक्साईड इंडस्ट्रीज लि0 टिन– 10050070091	पारा सं0–11	2010–11	Non levy of interest Rs.49.72 —	महालेखाकार अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया। रू0 49,72,061.00 का माँग पत्र निर्गत किया गया। बकाया राशि रू0 49,72,061.00 की वसूली दिनांक 30.01.2014 को की जा चुकी है। विभागीय वेवसाईड के भुगतान विवरण की प्रति संलग्न । अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है ।	अनुशंसित वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) केन्द्रीय प्रमंडल, पटना

वाणिज्य–कर उपायुक्त,
पाटलिपुत्र अंचल, पटना।

Order passed under Section. 33 of BVAT Act.

Name of the dealer.: -
M/s Exide Industries
TIN - 10050070091
Period - 2010-11
Memo / RSII 36 Dt. 13.02.13
(Audit, A.G, Bihar, Pat.

Order

The dealer is a company incorporated under the Indian Companies Act 1956, It is also regist.. in the Circle under the Bihar Value Added Tax A.: 2005, the Bihar Entry Tax 1993, and the central Sales Tax Act 1956. The company is engaged in the business of Battery and UPS. The origin. assessment order under Sec. 31 of Bihar Value Added Tax Act 2005 was passed on 28.01.13. The audit team of Pr. Accountant General Bihar Patna inspected the record of the company and raised certain objections:

" During scrutiny of Assessment order and oth. relevant papers placed on record for the period 2010-11, It was noticed that the dealer had paid tax of ₹18,35,22,808=00 against assessed tax of ₹19,89,88,004=00 and demand raised by the Assess. officer for ₹ 1,54,65,196=00 (₹19,89,88,004=00 - ₹18,35,22,808=00) vide M-III No - 2731 dated 30.1 but no interest was levied by the Assessing officer on created demand as required under the provision of section 39(4) of Bihar VAT Act, 2005 as calculated below."

Int. @ 1.5% p.m. for 21 months & 13 days (w.e.f 16.4.11 to 28.1.13) on ₹ 1,54,65,196=00
= ₹ 49,72,060=51.

Thus, the dealer is liable to pay ₹49,72,1?? besides tax assessed."

A notice of hearing u/s 33 of BVAT Act 2005 was issued to the deal. But, the dealer did not appear, on the date, fixed for hearing. Finally, the court decide to pass order ex parte.

As objection raised by the audit team, the case was examined and objection was found correct. Hence, interest under the provision of sec. 39(4) of BVAT Act 2005 is calculated below:

Interest @ 1.5% p.m. for 21 months 13 days (w.e.f. 16.04.11 to 28.01.13) on ₹1,54,65,196=
is ₹ 49,72,060=51/

Raise demand and intimate to A.G.

(signature)
09/10/13
C.T.O
Patliputra Circle

फारम - N - VIII

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 एवं 39 के अधीन माँग की नोटिस

(देखें नियम - 27)

कार्यालय वाणिज्य-कर उपायुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पटना

सेवा में,

सर्वश्री [illegible]

पता [illegible]

संख्या 1858

तिथि 17.10.13

TIN VAT : [illegible]

TIN CST :

TIN E.T. :

चूँकि इसमें नीचे बतायी गई अवधि के लिए यथा उल्लिखित अग्रिम कर का निर्धारण अध्यादेश की धारा 3(7) के अधीन किया गया जिसका भुगतान आपको करना है;

चूँकि निम्नांकित अवधि के लिए आपने जो विवरणी/पुनरीक्षित विवरणी दाखिल की है, उसके मुताबिक इसमें यथा उल्लिखित कर की रकम, जो आपके द्वारा देय है, का भुगतान आपने नहीं किया है;

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आपके द्वारा दाखिल विवरणियों की संविक्षा पूरी कर ली गयी है; जिसका परिणाम नीचे उल्लिखित है;

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आपसे संबंधित पुनः निर्धारण की कार्यवाही निपटा दी गई है, जिसका परिणाम नीचे उल्लिखित है;

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आप द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है;

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट धारा के अधीन आपसे संबंधित दांडिक कार्यवाही का निपटाव कर दिया गया है और आपके ऊपर निम्नांकित अर्थ-दंड लगाया गया है;

इसलिए कृपया ध्यान रखें कि दिनांक .... तक शुद्ध माँग की रकम जो नीचे दी गई है, सरकारी कोषागार में जमा कर दी जाय;

(1) प्रसंगाधीन अवधि : [illegible]

(2) धारा और उप-धारा जिसके अधीन आदेश पारित किये गए : [illegible]

(3) आदेश का स्वरूप : [illegible]

(4) आदेश की तारीख : [illegible]

(5) माँग की रकम :

(क) कर की रकम :

(ख) अर्थदंड की रकम :

(ग) ब्याज की रकम : [illegible]

(घ) कुल रकम : [illegible]

(6) पहले चुकाई गई रकम : [illegible]

(7) शुद्ध माँग [illegible]

[illegible]

चालान संख्या	तारीख	रकम
	कुल :	

स्थान :

तारीख :

मुहर

हस्ताक्षर ....

पदनाम

Commercial Taxes Department

GOVERNMENT OF BIHAR

Shri Bijendra Prasad Yadav
Hon'ble Minister

Shri Nitish Kumar
Hon'ble Chief Minister

:: Order regarding Date Extension for filing of Annual return of FY 2015-16 and Filing Quarterly return of FY 2016-17 :: Clarification regarding RFP for CCTV :: Order r...

Last Login : [illegible]

User Profile
Dealer Profile
1 Registration Details
2 Return Details
3 Payment Details
4 SUVIDHA Details
5 EPCS-EOCS Details
6 Invoice Mis-match Details
7 Purchase Ledger Details
8 Sales Ledger Details
9 Message Details

Dealer Profile

TIN :	[illegible]	Tax Type :	VAT
Firm Name :	[illegible] INDUSTRIES LTD		
Address :	C/O VERMA LOGISTICS PVT LTD, T.P.S. COMPOUND, NEW BYE PASS ROAD, NEAR AMIT HOTEL, [illegible], PATNA, PATNA, BIHAR		

Basic Info

Proprietor Name :	[illegible] INDUSTRIES LTD	Contact No :	[illegible]
Division :	CENTRAL DIV.	Circle :	PATLIPUTRA CIRCLE
Officer Name :	SHRI PRAMOD KUMAR SUMAN	Permanent Account Number :	[illegible]
Email-Id :	[illegible]@gmail.com		

Bank Info

Sl.No.	Act	Account No	Account Type	Bank Name	Branch Name
1	ET	[illegible]	Current	State Bank of India	[illegible] PLACE, BORING ROAD, PATNA
2	VAT	[illegible]	Current	State Bank of India	[illegible] PLACE, BORING ROAD, PATNA

Payment Details

Search By : Return Period   Tax Details : Assessed Tax

ACT : VAT   From Date : 01/04/2010   To Date : 31/03/2011

Total Records : 4   Current Page : 1/1

Sr No	Mode Of Payment	Act Type	Tax Period From	Tax Period To	Date Of Payment	Amount Paid
1	E-Payment	VAT	01-APR-2010	31-MAR-2011	27-JAN-2010	[illegible]
2	E-Payment	VAT	01-APR-2010	31-MAR-2011	20-NOV-2010	[illegible]
3	[illegible]	VAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	E-Payment	VAT	01-APR-2010	31-MAR-2011	24-JUN-2010	[illegible]
					Page Total	[illegible]
					Total	[illegible]

First   Previous   Next   Last

Export to Excel   Export to PDF

Important Links
MODEL GST LAW
Concept Note on GST
Stakeholder Consultation on GST
Grievance Related Officer Services
Govt. of Bihar
VAT Related Sites
Patna High Court
Bihar Gazette
Accountant General of Bihar
National Portal of India
RTPS
Assets Declaration
Bihar Report Card 2016

Last Updated: [illegible]

General Information
Help e-Registration
CTO Check Posts
CTO Phone Nos.
CTO E-Mail Ids.
CTO HelpDesk Nos
Bihar Govt. Calendar
Spot Light
Sitemap
Search Dealers
Validate GST Form Numbers
Validate Signed PDF

कार्यालय : वाणिज्य–कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पटना।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–226/2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन।

क्रम सं0	व्यवसायी का नाम एवं निबंधन सं0	कंडिका सं0	अवधि	आपत्ति	अनुपालन	प्रमंडलीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) का मंतव्य
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वश्री नागार्जुन कन्सट्रक्शन कंपनी लि0 टिन– 10050188043	पारा सं0–13	2009–10	Non levy of interest Rs.4.26	महालेखाकार अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया। रू0 4,25,908.00 तथा कर की रकम रू0 11,99,126.00 सहित कुल रू0 16,25,532.00 का माँग–पत्र निर्गत किया गया। पूर्व में भुगतान की गयी राशि रू0 3,64,616.00 का समंजन देने के उपरान्त रू0 12,61,016.00 का माँग निर्गत किया गया। बकाया राशि की वसूली दिनांक 30.09.2013 को ट्रेजरी चालान–90 के माध्यम से की जा चुकी है। अतः अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।	अनुमोदित [signature] 7/10/14 वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय प्रमंडल, पटना

[signature] 7/10/14

वाणिज्य–कर उपायुक्त,
पाटलिपुत्र अंचल, पटना।

कार्यालय, वाणिज्य-कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पटना।

महालेखाकार बिहार, पटना का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–226/2012–13 की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन।

क्र0	...सायी का नाम एवं निबंधन संख्या	कंडिका सं0	अवधि	आपत्ति	अनुपालन	मंतव्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सर्वश्री नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं0 लि0 निबंधन सं0 –10050188043	13	2009–10	अंकेक्षण दल द्वारा निर्धारित कर की राशि पर रू0 4,25,906.00 के ब्याज अधिरोपण की अनुशंसा की गयी है।	व्यवसायी से निर्धारित कर रू0 8,35,110.00 एवं अधिरोपित ब्याज रू0 4,25,906.00 कुल रू0 12,61,016.00 की राशि Refund by Adjustment के माध्यम से कोषागार चालान TR/30.09.13 द्वारा वसूली जा चुकि है। अंकेक्षण आपत्ति समाप्त किये जाने योग्य है। आदेश, मांग-पत्र एवं चालान की छाया प्रति संलग्न		

वाणिज्य–कर उपायुक्त,
पाटलिपुत्र अंचल, पटना।

[illegible] 1402 [illegible]
[illegible] 2013-14

पिछला [illegible] 112

[illegible]	आदेश	स्वीकृत [illegible]
13	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रु 3,64,516.00 भुगतान [illegible] [illegible] पदाधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 6.11.12 को पारित आदेश के अनुपालन में 11,99,626.00 रु की [illegible] [illegible] 3,64,516.00 रु का [illegible] [illegible] [illegible] 11,99,626.00 रु के [illegible] के उपरान्त [illegible] राशि [illegible] 835110.00 रु का [illegible] [illegible] 31.3.10 के [illegible] के [illegible] 3,64,516.00 रु के [illegible] की राशि पर [illegible] [illegible] नहीं है 835110.00 रु के भुगतान का [illegible] नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] सं. 47 दिनांक 30.02.13 के अनुपालन में 835110.00 रु [illegible] [illegible] 34 [illegible] [illegible] 429106.00 रु की [illegible] [illegible] नहीं है [illegible] की धारा 33 ~~[illegible]~~ एवं [illegible] 425986.00 की [illegible] राशि [illegible] 835110.00 [illegible] +425986.00 रु के भुगतान हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] 6.6.13	[illegible] [illegible]

फारम : N - VIII

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 एवं 39 के अधीन माँग की नोटिस

(देखें नियम - 27)

कार्यालय वाणिज्य–कर उपायुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल, पटना

सेवा में, प्रबंधक निदेशक (illegible handwritten)   संख्या 28

सर्वश्री Nagarjun Construction Company Ltd   दिनांक 08/04/13

पता Phulwari Patna   TIN VAT : 10030188063

TIN CST :

TIN E.T. :

चूँकि इसमें नीचे बतायी गई अवधि के लिए यथा उल्लिखित अग्रिम कर या निर्धारण अध्यादेश की धारा 3 (7) के अधीन किया गया,जिसका भुगतान आपको करना है।

चूँकि निम्नांकित अवधि के लिए आपने जो विवरणी/पुनरीक्षित विवरणी दाखिल की है, इसके मुताबिक इसमें यथा उल्लिखित कर की रकम, जो आपके द्वारा देय है, का भुगतान आपने नहीं किया है।

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आपके द्वारा दाखिल विवरणियों की संवीक्षा पूरी कर ली गयी है, जिसका परिणाम नीचे उल्लिखित है।

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आपसे संबंधित पुनः निर्धारण की कार्यवाही निपटा दी गई है, जिसका परिणाम नीचे उल्लिखित है।

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आप द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

चूँकि इसमें विनिर्दिष्ट धारा के अधीन आपसे संबंधित दांडिक कार्यवाही का निपटारा कर दिया गया है और आपके ऊपर निम्नांकित अर्थ-दंड लगाया गया है।

इसलिए कृपया ध्यान रखें कि दिनांक .... तक शुद्ध माँग की रकम जो नीचे दी गई है, सरकारी कोषागार में जमा कर दी जाय:

(1) प्रसंगाधीन अवधि : 2009-10

(2) धारा और उप-धारा जिसके अधीन आदेश पारित किये गए : BVAT 2005 की धारा 31(1) एवं 33

(3) आदेश का स्वरूप : अंकेक्षण निर्धारण

(4) आदेश की तारीख : 08/04/2013

(5) माँग की रकम :

(क) कर की रकम ₹ 1104626.00

(ख) अर्थदंड की रकम

(ग) ब्याज की रकम ₹ 425906.00

(घ) कुल रकम ₹ 1625532.00

(6) पहले चुकाई गई रकम : ₹ 3,64,516.00

(7) शुद्ध माँग ₹ 12,61,016.00

(Rupees Twelve lac sixty one thousand sixteen only)

चालान संख्या	तारीख	रकम
377/3.3.10	—	3,61,075.00
378/3.3.10	—	3441.00
		364516.00
	कुल :	3,64,516.00

स्थान : ....

तारीख : ....

मुहर : ....

हस्ताक्षर : .... (signature) 8.4.13

पदनाम : वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल, पटना

Recd (signature) 8/4/13

Under Rs - 1261017.00

Form CH I :- Form of Challan Payment under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (See Rule27)

For Circle to be sent by the Bank to the Concerned Circle

Serial Number
Treasury
Name of the Bank
Branch Code
Major Head-0040-Sales Tax
Minor Head 102-Bihar Value Added Tax
Minor Head 101-Central Sales Tax
Receipts under the Bihar Value Added Tax Act, 2005
Miscellaneous Receipts under the:
Bihar Value Added Tax Act, 2005
Central Sales Tax, 1956
Challan of amount paid to the Bank

For the month/quarter/year ending - 2009-10

Name of the Circle to which the payment relates: Patliputra Circle

By whom Tendered

Tendered on behalf of : M/s Nuga[illegible] Construction Co. Ltd.

Taxpayer Identification Number : 10[illegible]804

Payment on account of	Amount
Admitted	0.00
Advance	0.00
Assessed/Reassessed Tax	1261016.00
Interest	0.00
Penalty	0.00
Fees	0.00
Composition money	0.00
Appeal Fee	0.00
Revision Fee	0.00
Mescellaneous	0.00
Total	1261016.00

Rupees (in words) Twelve Lacs Sixty One Thousand Sixteen Only

Signature of dealer/depositor

For Use in the Treasury

(Rupees

2. Date of Entry Treasury

Accountant

Treasury Officer
Agent/Manager of
State Bank of India

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्याः–11/अं०शा०/लो०ले०स०–11/2014– 4880 (अनु०)/पटना, दिनांकः 15/12/16

प्रेषक,

सुजय प्रकाश उपाध्याय,
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री भूदेव राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

विषयः– **CAG का प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, की कंडिका सं० 2.19 का अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक मामले में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, राजस्व प्राप्ति की कंडिका संख्या–2.19 का उत्तर 10 प्रतियों में संलग्न कर विचारार्थ भेजा जा रहा है।

2. कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
15.12.16

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

CAG की कंडिका संख्या 2.19/2012-13

कर का अधिक संग्रहण

हमलोगों ने फरवरी 2012 एवं 2013 के बीच तीन वाणिज्य—कर अंचलों में पाया कि तीन व्यवसायियों (स्व—कर निर्धारण) ने वर्ष 2008—09 एवं 2010—11 के बीच रु० 9.18 करोड़ का कर संग्रह किया एवं जमा किया, जबकि उक्त अवधि में उनकी कर की देयता सिर्फ रु० 9.03 करोड़ की थी। अतः व्यवसायियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध रु० 14.81 लाख अधिक कर संग्रहित किया। रिटर्न की संवीक्षा नहीं किए जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी अधिक कर संग्रह का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरुप रु० 29.61 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल ने अक्टूबर 2013 में एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं रु० 8.10 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 के प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

अंचलों का अनुपालनः—

1.दरभंगा अंचल, दरभंगा

व्यवसायी का नाम, पता	सर्वश्री दुर्गा भंडार,
निबंधन संख्या	10380437056
सी०ए०जी० कंडिका संख्या	2.19
प्रतिवेदन वर्ष	2012—13
अवधि	2010—11
महालेखाकार आपत्ति का विवरण	"कर का अधिक संग्रहण"

अनुपालन—

वित्तीय वर्ष 2010—11 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा ड्राई फुट्स की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का अधिक संग्रहण किया गया है, जबकि इसपर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है।

वित्तीय वर्ष 2010—11 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.13 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि सुनवाई के क्रम में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत क्रय बीजक के अनुसार बिस्कुट, मिल्क पाउडर, गुलाब जामुन आदि का क्रय किया गया है। टाईपिंग मिस्टेक के कारण टार में ड्राई फुट्स प्रदर्शित है। प्रसंगाधीन अवधि में बिस्कुट, मिल्क पाउडर, गुलाब जामुन आदि की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का उद्ग्रहण किया गया है, जो अधिसूचित श्रेणी में नहीं है। सम्यक जाँचोपरांत यह परिलक्षित हुआ कि अधिकाई कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

2.पटना सिटी पश्चिमी अंचल

व्यवसायी का नाम, पता	सर्वश्री विनायक इंटरप्राईजेज,
निबंधन संख्या	10080817040
सी०ए०जी० कंडिका संख्या	2.19
प्रतिवेदन वर्ष	2012—13
अवधि	2008—09 एवं 2009—10
महालेखाकार आपत्ति का विवरण	"कर का अधिक संग्रहण"

अनुपालन—

वित्तीय वर्ष 2008—09 एवं 2009—10 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा FMCG & Lubricants की बिक्री पर क्रमशः 12.81 एवं 12.51 प्रतिशत की दर से कर का अधिक संग्रहण किया गया है, जबकि इसपर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।

वित्तीय वर्ष 2008—09 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर का अधिक संग्रहण एवं शास्ति सहित कुल रु0 734292.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2009—10 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर का अधिक संग्रहण एवं शास्ति सहित कुल रु0 75302.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

3.भागलपुर अंचल, भागलपुर

व्यवसायी का नाम, पता	सर्वश्री ए०बी० सन्स एण्ड ऑटोमोटिभ,
निबंधन संख्या	10521731039
सी०ए०जी० कंडिका संख्या	2.19
प्रतिवेदन वर्ष	2012—13
अवधि	2010—11
महालेखाकार आपत्ति का विवरण	"कर का अधिक संग्रहण"

अनुपालन—

वित्तीय वर्ष 2010—11 में अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी द्वारा Spare Parts की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का अधिक संग्रहण किया गया है, जबकि इसपर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है।

वित्तीय वर्ष 2010—11 में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि कर का अधिक संग्रहण एवं शास्ति सहित कुल रु0 659530.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त अनुपालनो से सहमत हुआ जा सकता है।

15.12.14

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

Office of the Deputy Commissioner of Commercial Taxes
Bhagalpur Circle, Bhagalpur

ORDER SHEET

Schedule V- Form No. 29

S. 1. XXIX

Period - 10-11

Name of dealer with Address- M/s [illegible], [illegible], [illegible]

TIN - 10521731039

Name of Circle - Bhagalpur

Serial Number of order and date	Brief Order	How complied with and date of compliance
14.02.2015	व्यवसायी के संदर्भ में महालेखाकार, बिहार, पटना के निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 259/12-17 की कंडिका सं० 9(ए) में निम्नलिखित आपत्तियाँ व्यक्त की गई है :- [illegible] .... प्रथम दृष्टया आपत्ति सही प्रतीत होती है। आपत्ति की छाया प्रति संलग्न है। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 33 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु सूचना N-VII में सुनवाई तिथि 23.02.2015 निर्धारित करते हुए भेजें। [illegible] 13(9) [illegible] 19.02.2015 [illegible] 16.02.2015 [illegible] उपायुक्त	[illegible] 16.2.15

P.T.O.

18.02.15 मामले का निस्तारण श्री उपेन्द्र प्रसाद [illegible] करेंगे।

उपायुक्त

07.03.15 मामले का सुनवाई हेतु दिनांक: 16.3.15 निश्चित करते हुए सूचना निर्गत करें।

सहा.आ.

996/7.3.15

18.4.15 सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 2.5.15 निश्चित कर दिया है।

सहा.आ.

2844/25/4/15

11.05.15 व्यवसायी द्वारा सुनवाई हेतु सूचना की अनुपालन की जानकारी प्रस्तुत किया गया। [illegible] आपत्ति के आलोक में मांग-पत्र की राशि रु.6,57,530.00 हेतु सूचना निर्गत करें।

सहा.आ.

3355/20/5/15

Serial Number of order and Date	Brief Order	How Complied with and date of compliance
27-05-15	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 37 के अन्तर्गत पारित आदेश - व्यवसायी का नाम - सर्वश्री [illegible] ऑटोमोबाइल, [illegible] निबंधन संख्या - 1052-1701-079 अवधि - 2010-11 **आदेश** व्यवसायी द्वारा स्टील पाईप का खरीद-बिक्री करते हैं। [illegible] के निरीक्षण दल द्वारा जाँच संख्या - 259/12-13, कंडिका संख्या 8(a) में निम्नांकित आपत्ति व्यक्त की गई है। "व्यवसायी द्वारा स्टील पाईप वाले रू० 30,79,586.00 की बिक्री की गई। इस बिक्री पर @12.5% की दर से कर की वसूली की गई। जबकि उक्त वस्तु विभागीय अधिसूचना संख्या - S.O. 65 दिनांक 07.07.08 के अनुसार अनुसूची-IV के क्रम संख्या 105 पर अंकित है, यह वस्तु 4% की दर से करयोग्य है। व्यवसायी द्वारा अधिकाई वसूली राशि पर धारा 43(3) के अन्तर्गत [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] वसूल की गई एवं जमा की गयी राशि [illegible] की धारा 37(1) के अन्तर्गत [illegible] [illegible] की [illegible]।" उपर्युक्त अंकेक्षण आपत्ति की सत्यता [illegible] व्यवसायी को बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 37 के अन्तर्गत [illegible] पत्रांक 716 दिनांक 16.02.15 के द्वारा [illegible] दिनांक 23.12.15 [illegible] तिथि निश्चित की गई।	

Serial Number of order and Date	Brief Order	How Complied with and date of compliance
	सूचना के अनुपालन में लाभार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अगली सुनवाई तिथि दिनांक 16.06.15 निर्धारित की गई. पुनः सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 07.05.15 निर्धारित की गई. विपक्ष अधिवक्ता श्री नवीन कुमार द्वारा अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य एवं [illegible] प्रस्तुत नहीं किया जा सका। [illegible] यह नहीं कहा जा सकता है कि अंकेक्षण आपत्ति सही नहीं है। अतः @12½% [illegible] राशि रु० 35,79,586.00 अर्थात वसूली योग्य राशि रु० 4,54,948.00 अधिसूचना सं०- 65, दिनांक 03.07.13 की [illegible] @ [illegible] रु० 1,25,183.00 [illegible] वर्ष [illegible] अधिनियम, 2002 की धारा 40(3) के अन्तर्गत गणना राशि रु० 4,54,948.00 (−) रु० 1,25,183.00 रु० 3,29,765.00 (अर्थात वसूली योग्य राशि) अतः दोगुना रु० 3,29,765.00 × 2 = रु० 6,59,530.00 [illegible] रु० 6,59,530.00 [illegible] की राशि रु० [illegible] सूचना निर्गत की [illegible] धारा 40(3) के अन्तर्गत [illegible] Final order [illegible] [illegible] [signature] 17.05.15 [illegible] सहायक आयुक्त वाणिज्य कर, [illegible]	
20.7.15	उपरोक्त आदेश द्वारा निर्धारित रु० 6595300.00 का भुगतान नहीं किया गया [illegible] दिनांक 28.7.15 [illegible] [signature] [illegible]	[signature] 20.7.15

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES
BHAGALPUR CIRCLE, BHAGALPUR
FORM N - VIII

Notice of Demand under section 25 and section 39 of the Bihar Value Added Tax, 2005
[illegible] 25/12-13 [See Rule 27]
[illegible] - 3(7)

No. 2525
Date 20-5-15

To,
M/s [illegible]

Tax payer Identification Number 10521231039

Whereas the advance tax as specified here under has been determined under section 3(7) of the Act being payable by you for the period noted below :

Whereas you have not paid the amount of tax as specified here under, due according to the return/revised return filed by you for the period noted below.

Whereas the scrutiny of the returns filed by you for the period specified hereunder has been completed with result noted below;

Whereas the reassessment proceeding in respect of you for the period specified hereunder has been disposed of with the result noted below ;

Whereas you have not paid the amount of interest payable by you as specified hereunder; in respect of the period noted below;

Whereas the penalty proceeding in respect of you under the section specified hereunder has been disposed of and penalty as noted imposed on you;

Please take notice to deposit into the Government treasury the amount of net demand as noted below by [illegible] 6.6.15

(1) Period under reference : 10-11
(2) Section and sub-section under which orders were passed : u/s - 33
(3) Nature of order : [illegible]
(4) Date of Order : 7-5-15
(5) Amount of order :
  (a) Amount of Tax : -
  (b) Amount of penalty 659530.00 . 31(2)
  (c) Amount of Interest : -
  (d) Total amount 659530.00
(6) Amount already paid, if any :

Challan No. | Date | Amount

(7) Net demand : रु. 659530.00 ([illegible])

Signature
20.5.15
D.C.C.T./A.C.C.T./C.T.O
Bhagalpur Circle Bhagalpur

Place..........
Date..........
Seal..........

[illegible] N-VII
[illegible] 33 of the Bihar Value Added Tax
[illegible] 2005
[illegible] Rule 24]

[illegible]
Date- [illegible]-2015

[illegible] Commissioner of Commercial Taxes, Bhagalpur Circle, Bhagalpur

PD Sons and Automotive
[illegible] Bhagalpur [illegible]
[illegible] 10521001039

[illegible] brought to [illegible] notice that you have failed [illegible] you are hereby given an opportunity [illegible] why [illegible] not be [illegible]
[illegible] the Comptroller [illegible]
[illegible] 2010-11

19/02/15
23-2-15

[illegible]

Deputy Commissioner of Commercial Taxes
Bhagalpur Circle, Bhagalpur.

Accepte
Asst
20/02/15

कार्यालय वाणिज्य-कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा

I.R No. – 263/2012-13

कंडिका सं0	व्यवसायी का नाम एवं निबंधन संख्या	आपत्ति की प्रकृति	वर्ष	सन्निहित राशि	निष्पादन की स्थिति	अभियुक्ति
कंडिका संख्या – 01	सर्वश्री दुर्गा भण्डार, राजपुरी, पुल्लोबाड़ा, दरभंगा TIN – 10380437056	Non levy of penalty for excess collection of Tax	2010-11	14.92 Lakh	महालेखाकार, बिहार, पटना के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 263/2012–13 की कंडिका सं0 – 01 में अंकेक्षण दल द्वारा उठाई गई आपत्ति के अनुसार व्यवसायी द्वारा 2010–11 अवधि में कुल रु0 8777311.00 मूल्य का ड्राई फूट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर की वसूली की गई है जबकि एस0 ओ0 सं0 – 85/30.07.08 के अनुसार 4 प्रतिशत के दर से कर निर्धारित है इस प्रकार धारा 43(i) के अन्तर्गत व्यवसायी से शास्ति राशि रु0 1492142.00 पै0 वसूलनीय है। सूचना के अनुपालन में व्यवसायी के ओर से उनकी [illegible] के साथ तथा दो पन्ने का लिखित आवेदन दाखिल किया है तथा 12.5 प्रतिशत के क्रय का इन्वॉयस भी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन एवं सम्यक जांच के पश्चात् पाया गया कि व्यवसायी द्वारा TAR में प्रदर्शित वस्तु ड्राई फ्रूट्स [illegible] है। वस्तुतः इनके द्वारा 8777311.00 पै0 की बिक्री बिस्कुट, मिल्क पाउडर, गुलाब जामुन, मिल्क-[illegible] की है जो Un specified Goods की श्रेणी में है। इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर अधिसूचित है। उक्त वस्तु के क्रय का इन्वॉयस की प्रति जाँचोपरान्त अभिलेख से संलग्न किया गया। इसमें बिस्कुट का क्रय रु0 8007870.00 पै0 मिल्क पाउडर का क्रय रु0 [illegible] तथा [illegible] एवं गुलाब जामुन मिक्स हेतु क्रय रु0 [illegible] पै0 तथा कुल क्रय रु0 8260565.00 पै0 का है तथा इसका प्रारंभिक शेष 429036.00 रु0 का है इस प्रकार कुल 8689601.00 पै0 का 12.5 प्रतिशत का माल आलोच्य अवधि में बिक्री हेतु था जिसकी बिक्री रु0 8777311.00 पै0 के लिए की गई है। जिसपर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का उदग्रहण किया गया है। जाँचोपरांत पाया गया कि अतिरिक्त कर का उदग्रहण नहीं किया गया है। अतएव आपत्ति का निराकरण हो जाता है। आपत्ति समाप्त करने योग्य है। वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अं0), दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को अनुपालन प्रतिवेदन संख्या, अनुलग्नक सह आपत्ति समाप्त करने हेतु प्रेषित।	

अंकेक्षण — AR No — 283/2012-13
कं/डिका — 01

आदेश पत्रक

अवधि - 2010-11

कार्यालय, वाणिज्य-कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल दरभंगा

वाद संख्या :

व्यवसाय का नाम एवं पेशा : [illegible] [illegible], दरभंगा

करदाता पहचान संख्या (TIN)—VAT/C.S T.—1038 0454 [illegible]

आदेश का क्रमांक एवं तिथि	संक्षिप्त आदेश	कैसे अनुपालन किया गया एवं अनुपालन की तिथि
19.6.13	महालेखाकार बिहार पटना के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या -283/2012-13 की कंडिका 01 में अंकेक्षण दल द्वारा उठाई गई आपत्ति के अनुसार व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधि में कुल रु0 87,77,315/- मूल्य की [illegible] की बिक्री पर 12.5% की दर से कर की वसूली की गई जबकि S.O. No.-[illegible] 2008 के अनुसार 4% प्रतिशत की दर से कर निर्धारित है। इस प्रकार धारा-43(3) के अंतर्गत व्यवसायी से रु0 14,72,142.00 लेना प्रस्तावित है। व्यवसायी को कारण पृच्छा [illegible] हेतु सूचना निर्गत करें। सुनवाई दिनांक 5.7.13 [illegible] 19.6.13	
5.7.13	व्यवसायी श्री/प्रतिनिधि [illegible] उपस्थित [illegible] लिखित आवेदन प्रस्तुत किया तथा 12.5% के दर का Invoice प्रस्तुत, [illegible], [illegible] [illegible] – महालेखाकार के [illegible] दल द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गई है कि व्यवसायी द्वारा	

Order Sheet (Contd.)

आदेश का क्रमांक एवं तिथि	संक्षिप्त आदेश	कैसे अनुपालन किया गया एवं अनुपालन की तिथि
	क्रय 168669=60 पै० कुल क्रय 8262565=60 पै० का है तथा आयात उपरान्त 524036 रु० का है। (कुल 82,62,565=60 + 524036=00) 86,91,601=60 पै० का 12.5% का मात्र कराधेय व्यापार में बिक्री हेतु था। जिसकी बिक्री 8777311 रु० की गयी है जिस पर 12.5% की दर से कर का अपवंचन किया गया है अतः व्यापारी पर परिलक्षित हुआ कि व्यापारी कर का भुगतान नहीं किया गया है अतः यह व्यापारी कर अपवंचक हो रहा है अतः ऐसी की विक्रीत का लो (हस्ताक्षर)	

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या–11/अंoशाo/लोoलेoसo–12/2014– ..../पटना, दिनांक 25/4/16

प्रेषक,

सुजय प्रकाश उपाध्याय,
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री भूदेव राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

विषय:– CAG का प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, की कंडिका सं० 2.20 का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक मामले में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, राजस्व प्राप्ति की कंडिका संख्या–2.20 का उत्तर 10 प्रतियों में संलग्न कर विचारार्थ भेजा जा रहा है।

2. कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/अंoशाo/लोoलेoसo–12/2014– ..../पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को उक्त कंडिका की 05 (पाँच) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.11.14

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

CAG की कंडिका संख्या 2.20/2012-13

आवर्त का छिपाव

हमलोगों ने अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2013 के बीच चार वाणिज्य–कर अंचलों मे चार विनिर्माता व्यवसायियों (कर निर्धारित: दो तथा स्व–कर निर्धारित: दो) के रिटर्न से पाया कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने या तो अनुसूची –1 के वस्तुओं का विनिमार्ण किया था अथवा करदेय विनिर्मित किया था अथवा करदेय विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया था। इन वस्तुओं के लिए इनपुट का क्रय राज्य के अंदर से राज्य मे उन पर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा रु० 2.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायियों को रिवर्स क्रेडिट की संगणना करनी थी तथा उसे कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से घटना था, परंतु व्यवसायियों द्वारा रु० 13.88 लाख के रिवर्स क्रेडिट की या तो संगणना नहीं की गई अथवा कम संगणित किया गया। निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारित मामलों में भी इस चूक का पता नही लगा सके और दो मामले असंवीक्षित रह गए जो विभाग में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप रु० 28.31 लाख आरोप्य अर्थदण्ड एवं रु० 2.94 लाख के ब्याज सहित रु० 45.13 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद भी निर्धारण प्राधिकारी, हाजीपुर ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं रु० 1.43 लाख का माँग सृजित किया और निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने रु० 5.86 लाख वसूली की जबकि निर्धारण प्राधिकारी बेगुसराय ने कहा कि लेखापरीक्षा ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 16(2) (बी) मे वर्णित फार्मूला को अपनाया है जो विनिर्माण इकाई के लिए नही है, यह उक्त नियमावली के नियम 15 (2) के अनुसार होना चाहिए। उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 16(2) (ए) (बी) (सी) के तहत् वर्णित प्रावधानो के अनुरूप नही है जो स्पष्ट वर्णित करता है कि नियम 14 एवं नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यवसायी, जिनपर नियम 15 का प्रावधान लागू है, वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय अथवा उससे पहले, वर्ष के दौरान प्राप्त रिवर्स क्रेडिट, अगर कोई हो, की कुल राशि का पुनरीक्षित संगणना करेगा। पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट की संगणना नियम 16 (2) (बी) एवं (सी) के तहत् विहित तरीके से की जायेगी। पुनः नियम 16 (2) (डी) उपबंधित करता है कि इस उपधारा के उपबंध (सी) के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट अगर उपधारा (1) के तहत् संगणित पूरे वर्ष के लिए रिवर्स क्रेडिट के योग से भिन्न है, तब व्यवसायी उन मामलों में जहाँ इस उपनियम के उपबंध (सी) के प्रावधान के तहत् संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट उपनियम (1) के अंतर्गत संगणित पूरे वर्ष हेतु रिवर्स क्रेडिट के योग से अधिक है अन्तर राशि का भुगतान करेगा तथा वार्षिक रिटर्न के साथ भुगतान का साक्ष्य देगा।

मामला सरकार को जून 2013 मे प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (नवम्बर 2013)।

अंचल का अनुपालन:–

1. हाजीपुर अंचल, हाजीपुर

व्यवसायी का नाम, पता	सर्वश्री राकेश ईटेबुल एण्ड जेनरल प्रोडक्ट लि0, हाजीपुर
एवं निबंधन सं0	टिन–10293434070
सी0ए0जी0 कंडिका संख्या	2.20
प्रतिवेदन वर्ष	2012-13
अवधि	2009-10

महालेखाकार आपत्ति का विवरण "रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना

"अनुपालन–

अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी ने Schedule-I goods पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है एवं रु0 40938.00 का रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं किया है।

अंकेक्षण दल की आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.13 को पारित करते हुए बताया गया है कि व्यवसायी द्वारा रु0 40938.00 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अत्यधिक दावा किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। दावे को अस्वीकृत करते हुए शास्ति रु0 122814.00 एवं ब्याज रु0 20264.31 सहित कुल अधिरोपित रु0 143078.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

2. सासाराम अंचल, सासाराम

व्यवसायी का नाम, पता	सर्वश्री जे0पी0एल0 आयल्स एण्ड फुड्स, पहलेजा, डिहरी
एवं निबंधन सं0	टिन–10245680097
सी0ए0जी0 कंडिका संख्या	2.20
प्रतिवेदन वर्ष	2012–13
अवधि	2010–11
महालेखाकार आपत्ति का विवरण	"रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना"

अनुपालन–

अंकेक्षण दल की आपत्ति है कि व्यवसायी ने रु0 444680.00 का रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं किया है।

अंकेक्षण दल की आपत्ति के आलोक में अंचल के करारोपण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 13.10.12 को आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि व्यवसायी ने विवरणी में निविष्टि कर एवं राज्य के बाहर [illegible] किया है, किन्तु Reverse Credit नहीं दिखाया गया है, जो एक प्रक्रियात्मक चूक है। इससे किसी प्रकार के छिपाव एवं व्यवसायी की कर अपवंचना की मंशा परिलक्षित नहीं होती है। अतः अधिनियम की धारा–31(2) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपण यथोचित नहीं है। Reverse Credit की संगणना के फलस्वरूप व्यवसायी पर रु0 444680.00 कर की देनदारी बनती है। अतः रु0 444680.00 एवं ब्याज रु0 121620.00 सहित कुल संगणित रु0 566300.00 हेतु मांग पत्र निर्गत है। अंचल द्वारा प्रेषित चालान की छाया प्रति के अनुसार भुगतान संपन्न एवं अंकेक्षण आपत्ति समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त अनुपालनों से सहमत हुआ जा सकता है।

17.11.14

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

लो०ले०स०/प्र०सं०(ला०) - 293, दिनांक 31.12.2014

SAB (PAC) 4

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)

पत्र संख्या-11/अं०शा०/लो०ले०स०-22/2014- .... /पटना, दिनांक ....

प्रेषक,

अजय कुमार चौरसिया,
वाणिज्य कर उपायुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री भूदेव राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

विषय:- CAG के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 की कंडिका सं० 2.30 का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 की, कंडिका संख्या-2.30 का उत्तर 15 प्रतियों में संलग्न कर विचारार्थ भेजा जा रहा है।

2. कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/-
वाणिज्य-कर उपायुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-11/अं०शा०/लो०ले०स०-22/2014- 5012 (अं०शा०) /पटना, दिनांक 30/12/14

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को उक्त कंडिका की 10 (दस) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/14
वाणिज्य-कर उपायुक्त,
बिहार, पटना।

वाणिज्य–कर विभाग

CAG की कंडिका संख्या 2.30 / 2012-13

विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति

मार्च 2013 में हमने पटना विशेष अंचल में पाया कि एक अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जनवरी 2013 में कर निर्धारण करते समय रू० 2,489.29 करोड़ (5617.1847 मिलियन ईकाई) का विद्युत शुल्क से छूट की अनुमति दी गयी थी। कर निर्धारण आदेश के साथ वार्षिक लेखे एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल अन्य संबंधित रिटर्न की जाँच के दौरान हमने पाया कि व्यवसायी ने अपने रिटर्न में विद्युत शुल्क से छूट का लाभ विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर लिया था जबकि उपरोक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी को बेची गयी वास्तविक ऊर्जा जिन्हें उपरोक्त अधिनियम में छूट का प्रावधान किया गया था, के आधार पर लेना था। विद्युत शुल्क अधिनियम अथवा उसके तहत् बने नियमों के तहत् निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर छूट प्रदान किए जाने की ऐसी कोई प्रावधान के बगैर ही निर्धारण प्राधिकारी ने छूट की अनुमति दी। इस प्रकार निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणी, जैसा कि रिटर्न के प्रारूप में अपेक्षित है, को वास्तविक बिक्री का विवरण प्राप्त किए बगैर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जाना अनियमित था तथा इसलिए अनुमान्य नहीं है।

ऐसी छूट पर विद्युत शुल्क की सन्निहित राशि रु० 148.34 करोड़ संगणित की गयी।

मामला सरकार को जुलाई, 2013 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

अंचल का अनुपालन :–

1. विशेष अंचल, पटना

व्यवसायी का नाम, पता एवं निबंधन इं०	सर्वश्री बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना, टिन–10010080306, ई.डी.–35(आर)
सी०ए०जी० कंडिका संख्या	2.30
प्रतिवेदन वर्ष	2012–13
अवधि	2006–07 से 2011–12
महालेखाकार आपत्ति का विवरण	विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति।

अनुपालन – अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में विशेष अंचल, पटना द्वारा दिनांक 14.12.13 को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 में व्यवसायी द्वारा किए गए 661.3095 MKWH

निट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 2,36,42,15,780.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 14,18,52,947.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 14,18,52,947.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया।

वर्ष 2007–08 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 780.3016 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 2,90,63,24,210.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 17,43,79,453.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 17,43,79,453.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया।

वर्ष 2008–09 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 976.4022 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 3,61,39,67,710.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 21,68,38,063.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 21,68,38,063.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया।

वर्ष 2009–10 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 1105.5861 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 4,14,38,35,600.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 24,86,30,136.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 24,86,30,136.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया।

वर्ष 2010–11 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 1051.7827 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 5,19,47,49,820.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 31,16,84,809.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 31,16,84,809.00 का माँग सृजित करते हुए भुगतान हेतु माँग–पत्र निर्गत किया गया।

वर्ष 2011–12 में अंचल द्वारा व्यवसायी के 1041.8226 MKWH यूनिट के शुल्क विमुक्त ऊर्जा के दावे को साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए इसकी राशि रु० 6,66,98,54,130.00 पर विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 6(C)(1) के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क रु० 40,01,91,248.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध रु० 40,01,91,248.00 का मॉंग सृजित करते हुए भुगतान हेतु मॉंग–पत्र निर्गत किया गया।

इस प्रकार अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंचल द्वारा वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए व्यवसायी के विरूद्ध कुल रु० 1,49,35,76,656.00 का मॉंग सृजित किया गया, जिसमें से रु० 55,08,77,000.00 का भुगतान दिनांक 30.03.2014 को किया गया है। शेष बकाया राशि रु० 94,26,99,656.00 अभी भी वसूलनीय है।

उपर्युक्त अनुपालन से विभाग सहमत है।

26/12/14

(अजय कुमार चौरसिया)
वाणिज्य–कर उपायुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-02लो०ले०स०-25/23- 1091 वि०स० ।

प्रेषक,

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।
आयुक्त-सह सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 8/11/2023

विषय:- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-708 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि वाणिज्य-कर विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका-2.18, 2.19, 2.20 एवं 2.30 पर लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-708 को समिति द्वारा दिनांक-27.10.2023 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

अतः पारित प्रारूप प्रतिवेदन की मूल प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समिति द्वारा पारित प्रतिवेदन की मूल प्रति सभा सचिवालय को वापस करने की कृपा की जाय । इस अवधि के अन्दर प्रारूप प्रतिवेदन वापस नहीं होने पर यह समझा जायेगा की इसमें निहित आँकड़े सही हैं ।

विश्वासभाजन,

अनु०-लो.ले.स. का प्रारूप प्रतिवेदन-708 की मूल प्रति ।

8.11.2023

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

8/11/23

संख्या/No. लो० ले०स/प्रारूप प्रतिवेदन/147-अ/23-24/07

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit) Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date: 22-11-2023

सेवा में,

निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना-800 001

विषय :- बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या- 708 में सन्निहित तथ्यों एवं आँकड़ों का सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्र सं०-2लो०ले०स०-25/23-1091/वि०स०, दिनांक-08.11.2023

महाशय,

निदेशानुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं पर आपके द्वारा प्रेषित लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-708 को मूल रूप में वापस करते हुए सूचित करना है कि उक्त प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित तथ्यों एवं आँकड़ों का सम्परीक्षण किया गया तथा उनमें उल्लिखित अंतर्वस्तु में आंशिक संशोधन किया गया एवं अन्य तथ्यों एवं आँकड़ों को सही पाया गया। परिशिष्ट के रूप में उल्लेखित पत्र की प्रति प्रारूप प्रतिवेदन में संलग्न नहीं पाया गया जिसकी छाया प्रति अनुलग्नक के रूप में अग्रेत्तर उपयोग हेतु दी जा रही है।

भवदीय,

अनुलग्नक:- (1) लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन सं०-708 (मूल)
(2) वाणिज्य-कर ज्ञापांक-1797 दिनांक- 21.06.2017 की प्रति
(3) वाणिज्य-कर ज्ञापांक-1445 दिनांक- 02.05.2017 की प्रति
(4) वाणिज्य-कर ज्ञापांक-4880 दिनांक- 15.12.2016 की प्रति
(5) वाणिज्य-कर ज्ञापांक-4507 दिनांक- 23.11.2016 की प्रति
(6) वाणिज्य-कर ज्ञापांक-6012 दिनांक- 29.12.2014 की प्रति

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-02 लो.ले.स.-25/23- विOसO, पटना ।

प्रेषक,

असीम कुमार,
स्मार पत्र निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

आयुक्त-सह-सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-708 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग- सभा सचिवालय के पत्रांक-1091, दिनांक-08.11.2023.

महोदय,

उपर्युक्त पत्र एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि वाणिज्य-कर विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (रा.प्र.) की कंडिका-2.18, 2.19, 2.20 एवं 2.30 पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-708 को आँकड़ों के सम्परीक्षण हेतु विभाग को भेजा गया था जिसमें यह उल्लिखित था कि आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर सभा सचिवालय को वापस की जाय परन्तु लगभग 01 (एक) माह का समय बीत चुका है और अबतक प्रारूप प्रतिवेदन का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति सभा सचिवालय को वापस नहीं किया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-708 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति सभा सचिवालय को 07 (सात) दिनों के अंदर वापस की जाय । यदि प्रारूप प्रतिवेदन का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति इस अवधि के अंदर वापस नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि इसमें सन्निहित आँकड़े सही हैं एवं इसके उपरांत सभा सचिवालय द्वारा प्रतिवेदन उपस्थापन संबंधी अग्रतर कार्रवाई कर ली जायेगी ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-02 लो०ले०स०-25/2023 1163 /वि०स०, पटना, दिनांक- 28/12/2023
प्रति- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024